GOVERNMENT OF RAJASTHAN

HOME (Group-9) DEPARTMENT

No.F.33(2)Home-9/2019

Jaipur, Dated: 17-11-2020

ORDER

Vide order of even no. dated 1st November 2020, directions were issued that school, colleges and educational and coaching institutes shall remain closed for students, and regular class activities till 16th November, 2020.

Now, it has been decided that the directions issued vide order dated 1st November 2020 shall remain in force till 30th November, 2020.

(N.L. Meena)
Secretary, Home

Copy to:

- 1. Secretary to Governor, Rajasthan.
- 2. Principal Secretary to Chief Minister, Rajasthan.
- 3. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly.
- 4. SA/PS to All Ministers/ State Ministers.
- 5. Dy. Secretary to Chief Secretary, Rajasthan.
- 6. All Addl. Chief Secretaries/ Pr. Secretaries/ Secretaries.
- 7. Director General of Police, Rajasthan.
- 8. Director General, Jail/ Home Guards, Rajasthan.
- 9. All Head of Departments.
- 10. All Divisional Commissioners.
- 11. All District Collectors.
- 12. Director, Secondary Education, Rajasthan.
- 13. Commissioner of Police, Jaipur/Jodhpur.
- 14. IG/DIG, Police Range, Rajasthan.
- 15. All SPs/ DCPs, Jaipur/Jodhpur.
- 16. All C.E.O.s, Zila Parishad.
- 17. All R.T.Os/ D.T.Os, Rajasthan.
- 18. DIPR, Rajasthan.

My

(Kailash Chand)
Deputy Secretary, Home

राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक : प. 33(2)गृह—9 / 2019

जयपुर, दिनांकः 17.11.2020

आदेश

राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश **दिनांक 1 नवंबर, 2020** के द्वारा स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान एवं नियमित कक्षा गतिविधियां दिनांक 16 नवंबर, 2020 तक बंद रहेंगी, के आदेश जारी किये गये थे।

अब राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आदेश दिनांक 1 नवंबर, 2020 द्वारा जारी किये गये निर्देश दिनांक 30 नवम्बर 2020 तक प्रभावी रहेंगे।

(एन. एल. मीना) शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1. सचिव, राज्यपाल महोदय
- 2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
- 3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
- 4. विशिष्ट सहायक / निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण
- 5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
- 6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
- 7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
- 8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
- 9. सभी विभागाध्यक्ष।
- 10. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
- 11. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
- 12. समस्त जिला कलेक्टर्स।
- 13. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।

- 14. महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
- 15. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
- 16. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
- 17. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी।
- 18. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

(कैलाश चन्द)

शासन उप सचिव, गृह